

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को संसद द्वारा बनाये गये या निर्धारित किसी भी नियम के अंतर्गत संघ और राज्य और किसी भी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करना होगा। संसद ने 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षा का डीपीसी अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया था। सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व और पूंजी दोनों) की लेखापरीक्षा करने और स्वयं की संतुष्टि के लिए कि नियमों और क्रियाविधियों को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए बनाया गया है और उनका विधिवत् पालन किया जा रहा है, का प्राधिकार प्रदान करती है। लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 में प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

2.2 प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में निम्नवत के बारे में प्रणालियों एवं क्रियाविधियों और उनकी क्षमता की जांच को शामिल किया जाता है:

- क. संभावित कर निर्धारितियों की पहचान, कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर अपवंचन का पता लगाना और रोकना;
- ख. शास्तियों के उदग्रहण और अभियोग चलाने सहित विवेकाधिकार शक्तियों को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना;
- ग. विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कार्यवाही;
- घ. राजस्व प्रशासन को सुदृढ करने या सुधारने के लिए आरंभ किये गये कोई उपाय;
- ड. राशि जो बकाया में हो, बकाया के अभिलेखों का रख-रखाव और बकाया राशियों की वसूली हेतु की गई कार्रवाई;

- च. समुचित सावधानी से दावों का अनुसरण करना और उपयुक्त औचित्य और उचित प्राधिकार के अलावा उन्हें न तो परित्यक्त किया गया है, और न ही कम किया गया है;

2.3 लेखापरीक्षा उत्पाद और प्रभाव

लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 के नियम 205 के अनुसरण में, हम संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आवधिक निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करते हैं। भारत के सी एण्ड एजी के पास लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 के नियम 205 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के स्वरूप, विषय-वस्तु और प्रस्तुतीकरण के समय के निर्धारण का प्राधिकार है।

2.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

2.4.1 हमने लेखापरीक्षा के प्रभाव का विश्लेषण किया जिसके परिणामस्वरूप हमारी सिफारिशों के आधार पर आयकर अधिनियम और नियमावली के अन्तर्गत संशोधन किये गये। 2013-14 के दौरान, हमने दो निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की अर्थात् (क) 2013 की रिपोर्ट संख्या 4 सूचना के प्रयोग के माध्यम से कर आधार में वृद्धि और (ख) 2013 की रिपोर्ट संख्या 20 चेरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं को छूट। निम्नलिखित पैराग्राफ लेखापरीक्षा के प्रभाव बताएंगे।

2.4.2 हमने इशारा किया²⁰ कि अधिनियम की धारा 285 बीए के अंतर्गत फाइल की जाने वाली वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईआर) में प्रस्तुत जानकारी मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रमाणीकरण पर गलत पाई गई। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की है कि आईटीडी द्वारा जारी नोटिसों के उत्तर में या एआईआर में तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिये अधिनियम में प्रभावी दंडात्मक प्रावधान के लिये और क्षेत्र में उसके प्रसार से पूर्व एआईआर/सीआईबी के माध्यम से प्राप्त डेटा की सत्यता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये एक प्रणाली बनानी चाहिये।

2.4.3 सरकार ने विवरण में सटीक जानकारी प्रदान करने के लिये जुर्माने का प्रावधान बनाते हुये वित्तीय अधिनियम, 2014 के माध्यम से अधिनियम में नई धारा 271एफएए सम्मिलित की। धारा 285बीए को व्यक्ति जो निर्धारित

20 2013 की रिपोर्ट संख्या 20 - जानकारी के प्रयोग से कर आधार में वृद्धि

तरीके से सही जानकारी प्रस्तुत करे और दस दिनों की अवधि के अंदर, त्रुटि, यदि विवरण में उसके द्वारा पाई जाती है, के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सूचित करने के लिये रिटर्न फाइल करे पर एक जिम्मेदारी डालने के लिये भी संशोधित किया गया है। यह भी प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार धारा 285बीए(1) में संदर्भित व्यक्ति अर्थात् विवरण फाइल करने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति को निर्धारित आयकर प्राधिकरण में पंजीकृत करने हेतु, निर्दिष्ट करते हुये नियम बना सकती है।

2.4.4 चेरीटेबल ट्रस्टों और संस्थाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में लेखापरीक्षा²¹ द्वारा की गई सिफारिशों और अधिनियम में विसंगतियों को ध्यान में रखते हुये, चेरीटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं को अनुमत छूट के संबंध में वित्तीय अधिनियम, 2014 के माध्यम से आयकर अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किये गये है:

- क.** अधिनियम की धारा 10(23सी) के अंतर्गत पात्र शैक्षणिक संस्थाएँ, अस्पताल और अन्य संस्थाएँ सरकार द्वारा वास्तव में वित्तपोषित तभी माने जायेंगे यदि संख्या को सरकारी अनुदान पूर्व वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों (स्वैच्छिक योगदान सहित) की प्रतिशतता (निर्धारित) से अधिक हो।
- ख.** चेरीटेबल ट्रस्ट/संस्थाओं की आय की संगणना में परिसंपत्ति, जिसका अभिग्रहण किसी भी वर्ष में आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा किया गया हो, के संबंध में मूल्यहास के लिये कटौती या छूट अपवर्जित करनी होगी।
- ग.** जब ट्रस्ट या संस्था का धारा 11 के अंतर्गत छूट के लाभ के उद्देश्य के लिये पंजीकरण किया गया हो, तब ऐसी ट्रस्ट या संस्था धारा 10(23सी) के अंतर्गत छूट प्राप्त आय और कृषि आय को छोड़कर धारा 10 के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकती। इसी प्रकार, संस्थाएँ जो धारा 10(23सी) के अंतर्गत छूट के लाभ का दावा करने के लिये अनुमत या अधिसूचित हैं कृषि आय को छोड़कर धारा 10 के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत छूट के किसी भी दावे की हकदार नहीं हैं।
- घ.** अधिनियम की धारा 12ए के मौजूदा प्रावधान यह प्रदान करने के लिये संशोधित किये गये हैं कि पात्र ट्रस्ट या संस्थाएँ जिन्हें अधिनियम की

21 2013 की रिपोर्ट संख्या 21 - चेरीटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं को छूट

धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण दिया गया है, अधिनियम की धारा 11 और 12 के अंतर्गत लाभ के पात्र होंगे, पूर्व वर्ष के लिये भी जिसका ऐसे पंजीकरण की तिथि को लंबित आंकलन हो। इसके अतिरिक्त, आंकलन दोबारा करना अनुमत नहीं है, केवल यदि ऐसी ट्रस्ट या संस्था ने पूर्व आंकलन वर्ष के लिये पंजीकरण प्राप्त न किया हो।

ड. अधिनियम की धारा 12ए के मौजूदा प्रावधानों को विशिष्ट परिस्थितियों, जैसे निषिद्ध मोड में निवेश ट्रस्टी के लाभ के लिये आय को लागू करने के अंतर्गत संघटित संपत्ति से आय प्राप्त करने वाले ट्रस्ट या संस्थाओं को दिये गये पंजीकरण रद्द करने के लिये आयकर आयुक्त को सशक्त करने के लिये संशोधित किया गया।

च. धारा 115बीबीसी को यह प्रदान करने के लिये संशोधित किया गया है कि देय आयकर निर्धारित द्वारा प्राप्त कुल अनुदान के पांच प्रतिशत से अधिक प्राप्त अस्पष्ट अनुदान के कुलयोग पर 30 प्रतिशत के दर पर संगणित आयकर की राशि का कुल योग या एक लाख रूप्य होगा, जो भी अधिक हो और आयकर की राशि जिससे निर्धारित प्रमार्य होगा उसकी कुल आय अस्पष्ट अनुदान के कुल योग तक कम हो गई हो जो निर्धारित द्वारा प्राप्त कुल अनुदान से पांच प्रतिशत अधिक हो या एक लाख रूप्य, जैसा भी मामला हो।

2.5 त्रुटियों की घटना

2.5.1 आईटीडी ने वि.व. 2012-13 में 2,13,129 संवीक्षा निर्धारण पूरे किये जिनमें से हमने नि. व. 2013-14 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान 1,77,008 मामलों की जांच की। इसके अतिरिक्त हमने नि. व. 2013-14 के दौरान पिछले निर्धारण वर्षों के मामलों की भी लेखापरीक्षा की। नि. व. 2012-13 में आईटीडी द्वारा पूरे किये गए निर्धारण से संबंधित लेखापरीक्षा में की गई जांच में निर्धारण में 16,853 (9.5 प्रतिशत) मामलों में त्रुटियां थीं जो पिछले साल से (7.9 प्रतिशत) अधिक थीं। हमने 3,609 मामलों में गलतियाँ देखी जहाँ आईटीडी की आंतरिक लेखापरीक्षा पता लगाने में विफल हुई थीं।

2.5.2 निर्धारण में गलतियों के राज्य-वार उदाहरण परिशिष्ट-2.1 में दिये गए हैं नीचे तालिका 2.1 शीर्ष आठ राज्यों के विवरण दर्शाती है जहाँ 10,000 से अधिक निर्धारण 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किये गए थे।

तालिका 2.1: 10000 से अधिक निर्धारण वाले शीर्ष आठ राज्यों का विवरण (₹ करोड़ में)					
राज्य	2012-13 के दौरान पूरे किये गए निर्धारण	2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किए गए निर्धारण	गलतियों वाले निर्धारण	लेखापरीक्षा आपत्तियों का राजस्व प्रभाव	गलतियों वाले निर्धारण की प्रतिशतता
क. दिल्ली	45,519	23,634	1,330	12,868.8	5.6
ख. महाराष्ट्र	29,685	29,176	1,509	759.6	5.2
ग. तमिलनाडु	20,456	18,731	2,631	3,462.8	14.1
घ. आंध्र प्रदेश	17,452	12,543	1,377	940.8	11.0
ङ. गुजरात	14,419	13,977	1,471	414.1	10.5
च. उत्तर प्रदेश	11,800	11,454	960	720.0	8.4
छ. पश्चिम बंगाल	11,783	10,270	2,341	2,643.5	22.8
ज. कर्नाटक	10,910	10,652	825	951.0	7.8

यह दर्शाता है कि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु के साथ (14.1 प्रतिशत) पश्चिम बंगाल में गलतियों वाले निर्धारणों की प्रतिशतता उच्चतम (22.8 प्रतिशत) है।

2.5.3 नीचे दी गई तालिका 2.2 में वि.व. 2013-14 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा में देखी गई निर्धारण में त्रुटियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: निर्धारणों में त्रुटियों का कर वार ब्यौरा (₹ करोड़ में)		
श्रेणी	मामले	कर प्रभाव
क. निगम कर और आय कर	18,720	16,038 ²²
ख. धन कर	681	27
ग. अन्य प्रत्यक्ष कर	139	2
जोड़		19,540
		16,067

नोट: उपरोक्त निष्कर्ष तथा सभी अनुवर्ती निष्कर्ष विशेष रूप से चयनित निर्धारणों की लेखापरीक्षा पर आधारित है।

2.5.4. नीचे दी गई तालिका 2.3 निगम कर और आय कर से संबंधित कम निर्धारण के वर्ग वार ब्यौरा दर्शाती है। परिशिष्ट-2.2 उनके तहत उप-श्रेणियों के संबंध में ब्यौरा दर्शाता है।

तालिका 2.3: त्रुटियों का श्रेणी-वार ब्यौरा (₹ करोड़ में)		
श्रेणी	मामले	कर प्रभाव
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	4,161	2,726
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंधन	6,943	7,898
ग. चूकों के कारण निर्धारण से बच गई आय	1,838	1,184
घ. अन्य	5,106	3,189
जोड़		18,048
		14,997

²² ₹ 1041 करोड़ के कर प्रभाव वाले अधिक निर्धारण के 672 मामले शामिल हैं।

2.5.5 स्थानीय लेखापरीक्षा में पता लगाए गए त्रुटियों के उच्च मूल्य एवं महत्वपूर्ण मामले इस रिपोर्ट में शामिल किये गये हैं। वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय²³ को बताए गए 469 मामलों पर चर्चा करती है। परिशिष्ट 2.3 ऐसे मामलों का विवरण देता है। तालिका 2.4 इन मामलों²⁴ के श्रेणी वार विवरण दर्शाती है।


तालिका 2.4: उच्च मूल्य मामलों की त्रुटियों का श्रेणीवार ब्यौरा						(₹ करोड़ में)	
श्रेणी	सीटी		आईटी		जोड़		
	सं.	टीई	सं.	टीई	सं.	टीई	
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	106	655.90	38	262.67	144	918.57	
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंधन	121	716.92	37	29.79	158	746.71	
ग. चूकों के कारण निर्धारण से बच गई आय	67	387.62	41*	22.38	108	410.00	
घ. अन्य	32	494.28	27	84.12	59	578.40	
जोड़	326	2254.72	143*	398.96	469	2653.68	

* ₹ 2.04 करोड़ के कर प्रभाव वाले धन के कम निर्धारण के 19 मामले शामिल हैं।

हमने अध्याय III एवं IV में कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की है।

2.5.6 लेखापरीक्षा के बताने पर वसूली

आईटीडी ने निर्धारणों में गलतियों को सुधारने के लिए उठाई गई माँगों से पिछले पाँच वर्षों में ₹ 6,230.09 करोड़ वसूल किये जो हमने दर्शायी थी। इनमें वि. व. 2013-14 में वसूले गए ₹ 3,659.68 करोड़ शामिल हैं।



उपरोक्त चार्ट 2.1 वि. व. 2011-12 में वसूली में एक अचानक उछाल दर्शाता है (₹ 1,538 करोड़) जो 2012-13 में नीचे आया (₹ 270.4 करोड़) तथा पुनः अचानक वि. व. 2013-14 में ₹ 3,659.7 करोड़ पर पहुँच गया।

²³ वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

²⁴ उप-श्रेणी वार विवरण परिशिष्ट-2.4 में हैं।

2.6 लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

2.6.1 हमने लेखापरीक्षा के विभिन्न स्तरों पर लेखा परीक्षित इकाइयों से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की। स्थानीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, हमने आईटीडी को टिप्पणियों हेतु स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर) जारी की। इसके अतिरिक्त, इनमें से महत्वपूर्ण और अधिक मूल्य वाले मामलों को हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को जारी किया।

2.6.2 नीचे दी गई तालिका 2.5 नि.व. 2009-10 से 2013-14 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों में जारी किये गये मामलों के संबंध में प्राप्त उत्तरों और स्वीकृत अभ्युक्तियों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 2.5: स्थानीय लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया						
वि.व.	की गई अभ्युक्तियाँ	प्राप्त किये गये उत्तर		उत्तर प्राप्त नहीं हुए	स्वीकृत मामलों की प्रतिशतता	उत्तर प्राप्त न होने की प्रतिशतता
		स्वीकृत मामले	अस्वीकृत मामले			
2009-10	19,227	2,927	3,919	12,381	15.2	64.4
2010-11	20,130	4,354	3,568	12,208	21.6	60.7
2011-12	19,624	3,945	2,971	12,708	20.1	64.8
2012-13	18,548	3,343	4,124	11,081	18.0	59.7
2013-14	19,312	3,642 ²⁵	3,131	12,534	18.9	64.9

2.6.3 हमने उच्च मूल्य वाले मामलों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनके समावेश से पूर्व मंत्रालय को उन पर टिप्पणियां देने के लिए छः सप्ताह दिये। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए 469 उच्च मूल्य वाले मामलों में से, आईटीडी ने 144 मामले (31 प्रतिशत) स्वीकार किये जबकि दिसम्बर 2014 तक 11 मामले स्वीकार नहीं किये। तालिका 2.6 आईटीडी द्वारा की गई उपचारात्मक कार्यवाही के विवरण दर्शाती हैं।

तालिका 2.6: की गई कार्यवाही का ब्यौरा					(₹ करोड़ में)	
श्रेणी	कार्यवाही पूरी की गई और वसूली गई राशि		कार्यवाही पूरी की गई परंतु वसूली अभी बाकी है		केवल कार्यवाही प्रारंभ की गई	
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव
क. निगम कर	0	0.00	248	1551.19	23	130.74
ख. आयकर	0	0.00	114	388.75	4	2.68
ग. धनकर	0	0.00	19	2.04	0	0.00
जोड़	0	0.00	381	1941.98	27	133.42

²⁵ 1,907 स्वीकृत मामले तथा की गई सुधारात्मक कार्यवाही; 1,735 स्वीकृत किये गये मामले परन्तु सुधारात्मक कार्यवाही नहीं किये।

आईटीडी ने 469 मामलों में से 408 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाही प्रारंभ की है। शेष मामलों में की गई सुधारात्मक कार्रवाही के ब्यौरे 31 दिसम्बर 2014 तक उपलब्ध नहीं थे।

2.6.4 अध्याय III और IV में क्रमशः निगम कर, आय कर और धन कर के संबंध में निर्धारणों में त्रुटियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

2.7 लेखापरीक्षा आपत्तियों का लंबन

2.7.1 सीबीडीटी ने निर्देश (2006) जारी किये हैं कि एलएआरज़ के उत्तर छह सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। निर्धारण अधिकारियों (एओज़) को गलतियों को सुधारने के लिए दो माह के भीतर सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ करनी आवश्यक है नहीं तो उनके काल बाधित होने के कारण राजस्व हानि होगी।

2.7.2 नीचे दी गई तालिका 2.7 अभ्युक्तियों के लंबन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 2.7: बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के ब्यौरे							(₹ करोड़ में)	
अवधि	नि. कर		आ. कर		आ. कर		जोड़	
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव
मार्च 2010 तक	2,013	9,516.5	2,356	4,147.7	522	19.2	4,891	13,683.4
2010-11	2,730	6,215.5	3,294	1,934.8	557	15.7	6,581	8,166.0
2011-12	3,179	12,788.5	4,514	1,209.3	585	35.8	8,278	14,033.6
2012-13	3,945	7,284.8	6,327	3,706.4	1,247	74.7	11,519	11,065.9
2013-14	2,749	5,993.0	5,817	1,350.4	803	5.1	9,369	7,348.5
जोड़	14,616	41,798.3	22,308	12,348.6	3,714	150.5	40,638	54,297.4

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तरों के लंबन में अभिवृद्धि के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 तक ₹ 54,297.4 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 40,638 मामले जमा हो गए थे।

2.7.3 नीचे दी गई तालिका 2.8 वि. व. 2009-10 से 2013-14 के दौरान काल बाधित मामलों का ब्यौरा दर्शाती है।

तालिका 2.8: काल-बाधित मामलों का ब्यौरा		(₹ करोड़ में)
प्रतिवेदन का वर्ष	मामले	कर प्रभाव
2009-10	5,644	2,869.0
2010-11	7,942	5,335.0
2011-12	3,907	1,083.0
2012-13	2,207	899.9
2013-14	2,427	1,121.2

2.7.4 वि.व. 2013-14 के दौरान, ₹1,121.2 करोड़ के कर प्रभाव वाले 2,427 मामले उपचारात्मक कार्रवाई हेतु कालबाधित हो गए थे। परिशिष्ट-2.5 ऐसे मामलों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाता है। चार राज्य में (महाराष्ट्र, गुजरात तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश) कालबाधित मामलों का कर प्रभाव ₹ 100 करोड़ अधिक था।

2.8 अभिलेखों को उपलब्ध न कराना

2.8.1 हमने करों के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के मद्देनजर और यह जांचने के लिए कि नियमावलियों और क्रियाविधियों का अनुपालन किया जा रहा है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 16 के अंतर्गत निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा की। आईटीडी के लिए यह आवश्यक है कि वह लेखापरीक्षा को अविलंब अभिलेख उपलब्ध कराये और सुसंगत सूचना प्रस्तुत करें।

2.8.2 परिशिष्ट 2.6 वि. व. 2011-12 से वि. व. 2013-14 के दौरान अभिलेखों को उपलब्ध न कराने के विवरण दर्शाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल में अभिलेख उपलब्ध न कराना वि. व. 2013-14 के दौरान पिछले वर्षों के बढ़ गया है। आईटीडी ने नि. व. 2013-14 के दौरान माँगे गए 2,99,218 अभिलेखों में से 40,212 (13.4 प्रतिशत) अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जो नि. व. 2012-13 (14.7 प्रतिशत) से कम है। नीचे तालिका 2.9 तीन अथवा अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में समान निर्धारितियों से संबंधित लेखापरीक्षा को उपलब्ध न कराए गए अभिलेखों के विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.9: तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को उपलब्ध न कराये गये अभिलेख	
राज्य	उपलब्ध न कराये गये अभिलेख
क. आंध्र प्रदेश	216
ख. कर्नाटक	266
ग. मध्य प्रदेश	58
घ. महाराष्ट्र	8
ङ. ओडिशा	51
च. तमिलनाडु	6
	जोड़ 605

वि. व. 2013-14 में, छह राज्यों में समान निर्धारितियों से संबंधित 605 अभिलेख पिछले तीन अथवा अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।